



अधिष्ठाता कार्यालय

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ.ग.)-495001

FAX (O)- 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030

Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

क्र./ 8141 /स्था./प्रशा./सिम्स/2020

बिलासपुर, दिनांक 04/07/2020

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के पत्र पत्र क्रमांक /9779/स्था/प्रशा/सिम्स/18 बिलासपुर दिनांक 14.09.2018 के तहत सिम्स बिलासपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में संविदा भर्ती कार्यवाही उपरान्त कार्यालयीन आदेश 1) क/3618 दिनांक 23.03.2020, 2) क/3586 दिनांक 23.03.2020, 3) क/3573 दिनांक 23.03.2020, 4) क/3629 दिनांक 23.03.2020 एवं क/3598 दिनांक 23.03.2020 के तहत चयनित प्रत्याशियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे। उपरोक्तानुसार शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रतियोगिता सूची में से चयनित प्रत्याशियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर (छ.ग.)



क्र. 8146 /स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

बिलासपुर, दिनांक 04/07/2020

//आदेश//

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर प्रतिक्षा सूची से नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कं	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	कुमारी प्रतिमा साहू/श्री लोचन प्रसाद साहू	अनारक्षित	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
02	श्री सेवा लकड़ा/श्री लालू लकड़ा	अ.ज.जा.	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
03	मीनाक्षी टोप्पो/श्री लक्ष्मन टोप्पो	अ.ज.जा. (महिला)	लैब. टेक्नीशियन	18655/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं-

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.

8147-57

क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

दिनांक 04/07/2020

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
06. निज सहायक, अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. संबंधित श्री सेवा लकड़ा, पिता/पति - श्री लालू लकड़ा, पता-ग्राम-खैरवार अमेराडुगू, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, पिन-497001, छ.ग. मो. नं.- 9009029491 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित कु प्रतिमा साहू, पिता/पति- श्री लोचन प्रसाद साहू, पता- क्वा. नं-डी 289, कैलाश विहार, विद्वुत नगर दर्सी कोरबा, (पश्चिम) छ.ग, पिन- 495450 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संबंधित मीनाक्षी टोप्पो, पिता/पति- श्री लक्ष्मण टोप्पो, पता- संत गहीरागुरु, वार्ड क्रमांक 46, (कदमपारा) अम्बिकापुर जिला- सरगुजा, पिन-497001, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,

Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र. 8159 / स्था. प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20

बिलासपुर, दिनांक 04/07/2020

आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर प्रतिक्षा सूची से, नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री रमेश कुमार ध्रुव / श्री जोधन सिंह ध्रुव	अ.ज.जा.	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655 / -
02	श्री सुरेन्द्र कुमार जांगडे / श्री भागवत प्रसाद	अ.जा.	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655 / -

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं-

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
- उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर छ.ग.

8160 - 69

क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

दिनांक 04/07/2020

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. प्रशासकीय अधिकारी, सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
06. निज सहायक, अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स, महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. संबंधित श्री रमेश कुमार ध्रुव पिता/पति- श्री जोधन सिंग ध्रुव, पता- ग्राम-परसदा, पोस्ट ऑफिस-बुन्देली, थाना- तेन्दुकोना, जिला- महासमुन्द छ.ग. पिन-493449 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित श्री सुरेन्द्र कुमार जांगड़े, पिता- श्री भागवत प्रसाद, पता- ग्राम-धनगांव, पोस्ट आफिस-रसौटा, थाना व तह- पामगढ़, जिला- जांजगीर चांपा, छ.ग. पिन- 495554 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,

Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

क्र. 8170 / स्था.प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20

बिलासपुर, दिनांक 04/07/2020

// आदेश //

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर प्रतिका सूची से, नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	कामाक्षी / श्री सुशेखर राव	अ.पि.व..(महिला).	लैब अटेंडेंट	11700/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं-

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिष्ठाता 04/07/2020

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.

8171-79

क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

दिनांक 04/07/2020

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना शाखा, महाविद्यालय, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
06. निज सहायक, अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. संबंधित- कामाक्षी, पिता/पति- श्री सुशेखर राव, केयर ऑफ- पाटनवार (गुरुजी) अशोक नगर, सीपत रोड, बिलासपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.